Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 15, Issue No. 9, October-2018, ISSN 2230-7540

कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए संवैधानिक उपबंध

Gaurav Chaudhary*

Research Scholar, Law Department, Mahatma Jyotiba Rao Phule University, Jaipur, Rajasthan

सार – ***भारत का प्राचीन इतिहास कमजोर वर्ग की देयनीय स्थिति का वर्णन भलीभांति रूप से करता है। प्राचीन समय में कमजोर वर्ग की स्थिति तुलनात्मक अत्यधिक गम्भीर थी। हर क्षेत्र में हर प्रकार से समाज का यह तबका पिछड़ा हुआ था तथा अनैक प्रकार से इसका शोषण किया जाता था। इनकी स्थिति इतनी देयनीय थी कि एक सभ्य समाज के सभ्य-मानव का जीवन जीने के लिए इस वर्ग के बारे में सोचना एक अकल्पनीय कल्पना-सा प्रतीत होता था। समाज का यह तबका प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, राजनैतिक हो, न्याय की दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा, पीड़ित व दबा- कुचला प्रतीत होता था। इनके उत्थान के लिए अनैक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवाजें उठाई एवं इन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किये गये, जो वर्तमान स्वरूप में भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय की समानता व समाज के प्रत्येक वर्ग में बंधुत्व का भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है।***

----------X----------

परिचय:

संविधान सभा ने संविधान में व्यवस्थाओं को शामिल करने के लिए यह महत्वपूर्ण लगा दिया, जो सामान्य व्यवस्था के लिए एक अनोखा मामला होगा, जो समानता सुनिश्चित करने के लिए ‘‘कमजोर वर्गो’’ की सहायता करने के लिए सरकार को सशक्त बनाने के लिए बाकी समय के साथ खोए हुए समय के लिए बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन व्यवस्थाओं को 15(4) में सम्मिलित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ‘‘29 में से कुछ में या खण्ड 2 में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो राज्य को 340 के माध्यम से किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिको की प्रगति के लिए कोई अनूठी व्यवस्था बनाने से नहीं रोकना चाहिए, जो बाद में शामिल हो गया।[1] प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान के माध्यम से, संविधान के 15 के तहत क्लॉज़ (4) के रूप में शामिल किया गया, जिसने शैक्षिक नींव में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने इस तैयारी के लिए सही माहौल बनाया।

भारत का वर्तमान स्वरूप अनैक प्रकार के प्रयत्नों का परिणाम है कि समाज का यह कमजोर वर्ग, पिछड़ा, वंचित वर्ग आज एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो पाया है। इन्हें यह सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान ने गारन्टी के रूप में प्रदान किया है। जैसा कि अनुच्छेद-15 व 16 में उपबंधित है।[2]

अनुच्छेद-15(1) के अनुसार राज्य इन विषयों पर जैसे- जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि पर समाज में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इन समाज के दबे कुचले, पिछड़े, कमजोर वर्गो के लिए उपबंध कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद-15(1) एक सामान्य सिद्धान्त है, जो संविधान की मूलभूत संरचना को दर्शाता है। इसके साथ ही अनुच्छेद-15 के शेष उपबंध इस समाज के, इस तबके के उत्थान के लिए अनैक प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था करते है। 60 और 70 के दशक के भीतर यह संवैधानिक उपबंध केवल अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए ही लागू किये गये थे, लेकिन मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और इन्द्रा साहनी के वाद के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यह उपबंध का रास्ता सुगम कर दिया। अनुच्छेद-15(4) और 15(5) इन वर्गो के उत्थान के लिए स्पष्ट रूप से बनाये गये है, जिसके द्वारा इन वर्गो की वर्तमान स्थिति एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने की है और समाज में एक विशेष रूप से इनको मान सम्मान प्रदान करती है, जो प्राचीन भारत की परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलता। इसे वर्तमान संविधान में यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है। संविधान संशोधन प्रथम के द्वारा चम्पाकन दोइराजन के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, जिसमें सामाजिक प्रावधान की प्रगति के लिए राज्य द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है।[3]

www.ignited.in

भारत का वर्तमान स्वरूप अनैक प्रकार के प्रयत्नों का परिणाम है कि समाज का यह कमजोर वर्ग, पिछड़ा, वंचित वर्ग आज एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो पाया है। इन्हें यह सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार भारत के संविधान ने गारन्टी के रूप में प्रदान किया है। जैसा कि अनुच्छेद-15 व 16 में उपबंधित है।

अनुच्छेद-15(1) के अनुसार राज्य इन विषयों पर जैसे- जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि पर समाज में भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इन समाज के दबे कुचले, पिछड़े, कमजोर वर्गो के लिए उपबंध कर सकता है, अर्थात अनुच्छेद-15(1) एक सामान्य सिद्धान्त है, जो संविधान की मूलभूत संरचना को दर्शाता है।[4] इसके साथ ही अनुच्छेद- 15 के शेष उपबंध इस समाज के, इस तबके के उत्थान के लिए अनैक प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था करते है। 60 और 70 के दशक के भीतर यह संवैधानिक उपबंध केवल अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए ही लागू किये गये थे, लेकिन मण्डल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और इन्द्रा साहनी के वाद के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यह उपबंध का रास्ता सुगम कर दिया। अनुच्छेद-15(4) और 15(5) इन वर्गो के उत्थान के लिए स्पष्ट रूप से बनाये गये है, जिसके द्वारा इन वर्गो की वर्तमान स्थिति एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने की है और समाज में एक विशेष रूप से इनको मान सम्मान प्रदान करती है, जो प्राचीन भारत की परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलता। इसे वर्तमान संविधान में यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है। संविधान संशोधन प्रथम के द्वारा चम्पाकन दोइराजन के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, जिसमें सामाजिक प्रावधान की प्रगति के लिए राज्य द्वारा कोई विशेष प्रावधान किया जा सकता है।

अपने आप में यह विशेष प्रावधान इन वंचित कमजोर, पिछड़े वर्गो के लिए एक रामबाण उपाय सिद्ध हुआ है। संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा आरक्षण के संबंध में शैक्षणिक संस्थानों में भी विशेष रूप से उपबंध किया गया है। अनुच्छेद-15(4) में जो पिछड़ापन/ कमजोर वर्ग के लिए आधार निश्चित किया गया है, वो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए, यह दर्शाता है कि यह कमजोर वर्ग इस रूप से एक समता के निश्चित आधार को छू सकेगा।[5] इसी के साथ ही इन्द्रा साहनी के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस वर्ग को समता के स्तर तक लाने के लिए जाति भी आधार हो सकती है। फिर भी हमारा समाज जातिगत् सरंचना पर आधारित है और जाति वंशानुगत होती है, जो युगो के दौरान जीवित रही है और वर्तमान परिस्थितियों में भी इन वर्गो का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने पिछड़ी श्रेणी को अपनी उप-जाति एवं कमजोर वर्ग के तबको को प्यार एवं सम्मान के साथ जीवन जीने एवं उच्च वर्ग के द्वारा सामंजस्य एवं स्नेह की भावना रखने का अपना मत प्रकट किया था, जिसके कारण एक नये भारत का निर्माण होना सम्भव है।[6] इसी प्रकार अनुच्छेद-16 भी सम्पूर्ण रूप से समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए उपबंध करता है, जिससे समाज का ऐसा तबका जो सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पीड़ित हो, उनका राज्य के अधीन नियोजन में एक हिस्सा या भाग उनके लिए सुरक्षित रख लिया जावे, जिसके आधार पर यह तबका नियोजन में पर्याप्त भागीदारी प्राप्त कर सके। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद-340 एवं 342 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग की भी भागीदारी निश्चित की गई है।

हमें उन लोगो को पहचानना होगा जो अत्यन्त गरीब, हतोत्साहित और वंचित है। उस बिन्दु पर, हमें उन्हें उचित प्रोत्साहन के साथ प्रस्तुत करना होगा, उदाहरण के लिए शिक्षा, उद्घाटन और वित्तीय प्रायोजन। उसके बाद वास्तविक क्षमता और परिश्रम से काम किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति को केवल इस तथ्य के बावजूद कि वह कम से कम योग्यता के आधार पर जाति के आधार पर सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। प्रमाणिकता इस तरह से प्रकाश की कसौटी होनी चाहिए कि देश को अपने लोगो की सबसे अच्छी जरूरत है न कि उन लोगो को जो बाहरी और अवांछनीय केन्द्रीय बिन्दुओ से लैस कर रहे है, क्योंकि उनके पास समाज के एक क्षेत्र के साथ एक स्थान है जो सौभाग्य से है युवा के रूप में संविधान में अलग। सौभाग्य से अपरिपक्व के रूप में संविधान में अलग रखा गया है। समाज के एक आरक्षित वर्ग से होने वाले सौभाग्य से या दुख की बात है कि एक और कम योग्यता वाले उम्मीदवार को याद करने के लिए एक अच्छे भविष्य वाले उम्मीदवार को एक अच्छे भविष्य वाले उम्मीदवार को देखना कितना निराशाजनक है। किस कारण से एक व्यक्ति को केवल इसलिए सहन करना पड़ता है क्योंकि वह कथित रूप से समाज के कथित इष्ट वर्ग का एक टुकड़ा होता है या राज्य की दोषपूर्ण नीति के परिप्रेक्ष्य में होता है।[7]

पिछले 60 वर्षो से बहुत कुछ नहीं बदला है, यह दर्शाता है कि हमने अपनी ऊर्जा को बंद कर दिया है। हमने समाज में जो कुछ भी बचा है, उसके साथ वंचितों को एक समान संतुलन में

www.ignited.in

लाने में पूरी तरह से बमबारी की है या हो सकता है, आमतौर पर, ऐसा प्रतीत होता है कि आरक्षण नीति इन वर्षो में गैर-सुविधा प्राप्त लोगो के लिए किए गए गलत काम को पूरा करने का प्रयास करती है। हमने समाज के एक क्षेत्र में स्थायी रूप से प्रभावी रूप से विकसित कर लिया है और अपनी ऊर्जा की हत्या करके उसके ऊपर की पोर्टेबिलिटी में बाधा उत्पन्न की है और उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार की नपुंसकता को सशक्त करने के बजाय, इस नीति को विस्तृत करना चाहिए, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग की वास्तविक क्रीम को समाज की उन्नति के लिए उनकी जाति या नेटवर्क के प्रति कम सम्मान दिया जा सके। हिन्दू समाज में जाति व्यवस्था के प्रचलन के कारण कुछ जातियों, जिन्हें सामाजिक, आर्थिक पिछडेपन के कारण उत्पीड़ित किया गया था, को स्थानान्तरित करने की प्रेरणा के साथ भारत में आरक्षण की रणनीति को अपनाया गया। इस कारण से कुछ जगह उन्नतकाल में अपना अवतार खो चुके है और जिन जातियों को वास्तव में मुनाफा होना चाहिए, उन्हें मुनाफा नहीं दिया जा रहा है और अन्य आरक्षण प्रणाली के पुरस्कार प्राप्त कर रहे है, जो वास्तव में इसके लिए निहित नहीं है। आज, आरक्षण प्रणाली हाल ही में राजनैताओं के लिए वोट बैंक लेने के लिए एक तंत्र में बदल गई है। गुजरात के पटेलों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने के हालिया उपद्रव पूरे देश के लिए आश्चर्यजनक थे, क्योंकि गुजरात राज्य में आरक्षण पाने के लिए आम जनता को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी थी, किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं थी।

तमिलनाडु राज्य में, आरक्षण व्यवस्था उस समाज के लिए विनाशकारी हो गई, जिसमें ब्राहम्णों ने पिछड़ी हुई अस्थायी सनक के संघ में में खुद को झकझोर कर रख दिया था और आरक्षण प्रणाली से जबरदस्त उठा लिया था। इन बोधगम्य कारणों के लिए, मलाईदार परत को मील के पत्थर के मामले के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात सम्पूर्ण रूप से कमजोर वर्ग के ठहरने से बचा गया है।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के एक मील के पत्थर के फैसले में, न्यायमूर्ति रविन्द्रन ने आरक्षण पर वर्तमान पेटर्न से खतरों को सूंघते हुए उचित रूप से यह कहा था कि जब अधिक व्यक्ति पिछड़ेपन के लिए तरसते है, जो कि बोझ के विपरीत है, तो देश ही रूक जाता है।

आरक्षण नीति को महान या भयानक घोषित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें से मुनाफा कमाने वाले लोग इस पर निर्भर है और इसे महान होने का उच्चारण करते है, जबकि जिन व्यक्तियों को सिस्टम की रोशनी में दुर्भाग्य हो रहा है, वे इसे निश्चित रूप से संशोधित करेंगे और इसे घोषित करेंगे। किसी भी मामले में, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि क्या आरक्षण नीति महान या भयानक नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि वास्तविक चाल और उसके चयन का उद्देश्य क्या है। यदि वह कारण जिस वजह से आरक्षण को कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए लागू किया गया था, क्या वह वास्तव में उसी उद्देश्य के अनुरूप लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है क्या?

समय के अनुरूप आरक्षण के द्वारा राजनैतिक उदारता वोट बैंक के निर्माण के लिए एक सम्मानजनक योजना के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, जो कि इसके मापदण्डों के विरूद्ध है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे या कमजोर वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास तभी सम्भव हो पायेगा, जब जिस वजह से आरक्षण का गठन किया गया था, वह उद्देश्य पूर्ण हो।

कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण का समाधान राष्ट्र के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर टिका हुआ है। 15 वर्ष की आयु शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार निष्पक्ष और सार्वभौमिक होना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों को धन का आवंटन किया जाना चाहिए और शिक्षण सीखने की प्रणाली का पुनः पुनर्जिवित करने का सफल प्रयास करना होगा। एक सरकारी समिति के तहत एक समीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर धन आवंटन के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

कमजोर या वंचित वर्ग को आरक्षण का लाभ जब भी दिया जाए, तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दिया जाने वाला लाभ प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्राप्त हो। जहां जहां इसका उद्देश्य केवल एक वर्ग या एक परिवार तक सीमित किया जाता है तो यह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं होगा, यह अपने उद्देश्य में तभी सफल होगा, जब उसका उद्देश्य सम्पूर्ण राष्ट्र के समाज को एक निश्चित समता का आयाम प्रदान करना होगा। यह मुद्दा मूल श्रेणियों के रूपरेखा में नहीं है, हालांकि अनिवार्य रूप से प्रान्तीय और शहरी विभाजन में है। भारत एक ग्रामीण गांव प्रधान देख है, जिसमें सामान्य वर्गीकरण व्यक्तिगत एवं अन्य पिछड़ा या कमजोर वर्ग की तरह सम्पन्न होता है। इसलिए यह व्यवस्था ग्रामीण और शहरी भाग के बीच किसी भी मुद्दे पर काबू पाने में सक्षम है, जिससे ग्रामीण विकास के बिन्दु के रूप मे केन्द्रित किया जा सकता है, उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती है। इस तरह

www.ignited.in

हम कुछ हाथों में शक्ति की एकाग्रता को कम कर सकते है और कमजोर वर्ग अर्थात ग्रामीण समाज को अपनी आजीविका के निर्वहन के साधन प्रदान कर सकते है।[8]

हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि कमजोर वर्ग के विकास एवं उत्थान के लिए आरक्षित नीतियों का सरकार के द्वारा लागू किया जाना चाहिए, तो उस बिन्दु पर इस मापदण्ड को पूरा करने के लिए विस्तृत योजना का निर्माण करना भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि बिना युक्तियुक्त योजना के हवाईपुल के ऊपर इस व्यवस्था को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन एवं दुर्गम है। कानून के विभिन्न तंत्रों का उपयोग भारत में वास्तविक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सुरक्षात्मक कानून, संवैधानिक संशोधनों, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए एक उचित योजना में पंक्तिबद्ध उद्देश्य के द्वारा ही इसकी पूर्ति सम्भव है।

वर्तमान भारत की परिस्थितियों के अनुसार कमजोर पिछड़ा एवं वंचित वर्ग के लिए संविधान में विशेष और पर्याप्त उपबंध किये गये है, लेकिन यह उपबंध कहीं ना कहीं राजनैतिक द्वेषता के शिकार है, जिसके कारण जो लाभ इन वर्गो को मिलना चाहिए था, समुचित रूप से आज तक नहीं मिल पाया है।[9] इस कारण संवैधानिक उपबंधो को लागू करने वाली एवं इनका पालन करने वाली शक्तियाँ जिन प्राधिकारियों के हाथ में होती है, उनकी स्वेच्छता का शिकार इस तबके को होना पड़ा है, जिसका खामियाजा पूरा भारत एक द्वेषता के आधार पर भुगत रहा है। निश्चित रूप से संवैधानिक उपबंध इन वर्गो के उत्थान, विकास व समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए बनाये गये थे, लेकिन इन्हीं तबको के कुछ स्वार्थी, असामाजिक तत्वों द्वारा भी इनका जो निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त होना चाहिए था, वह इनको नहीं मिल पाया है। इसमें कहीं ना कहीं राजनैतिक द्वेषता भी उचित रूप से जिम्मेदार है।[10] समय समय पर अब संवैधानिक उपबंधों का जो उनके द्वारा संविधान के द्वारा प्रदान किये गये थे, वर्तमान समय में पुनः निरीक्षण की अति-आवश्यकता है। समाज का वह कमजोर वर्ग जो इन उपबंधों का लाभ लेकर एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका है और उसी का कुछ भाग जो अभी भी उसी देयनीय अवस्था में है, उसको नये सिरे से इन्हीं उपबंधो का सुचारू रूप से लाभ देने के लिए त्वरित रूप से कार्यवाही करनी अति-आवश्यक है, अन्यथा जिस प्रकार से समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए इन उपबंधो का निर्माण किया गया था, काफी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी सुचारू रूप से इन्हें लाभांश प्राप्त नहीं हो रहा, जिसके वो संविधान लागू होने के दिन से प्राप्त करने के अधिकारी है। संविधान का 36वाँ अनुच्छेद लोगो के कल्याण के लिए प्रयास करना अनिवार्य बनाता है। प्रभावी रूप से सुरक्षित और सुरक्षात्मक एक सामाजिक व्यवस्था करना निश्चित करता है। साथ ही अनुच्छेद-41 में विभिन्न कमजोर वर्गो के शैक्षणिक व आर्थिक हितो को बढावा देने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशात्मक उपबंध है।

निष्कर्ष:

अनुसंधान विद्वान ने भारत में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, आस्था, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है और इस प्रकार के भेदभाव के खिलाफ पूरी तरह से असहमत है। संविधान निर्माता स्वयं इस प्रकार के भेदभाव से दुखी थे तथा इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनैक प्रकार से प्रयास किया है। वर्तमान में इस भेदभाव ने समाज में गहरी जड़े जमा ली है। इन जड़ो को नष्ट करने का संवैधानिक उपबंधो ने अथक प्रयास किया है, लेकिन राजनैतिक द्वेषतावश इनका उसी रूप में पूर्ण रूप से प्रवर्तन नहीं हो पाया, जिस उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी। अतः वर्तमान स्वरूप में इन संवैधानिक उपबंधो का सुचारू रूप से निर्वहन होने के लिए एक मार्गदर्शक और उचित सतत् प्रणाली का नए रूप में उदय होना अत्यन्त आवश्यक है।

संदर्भ:

1. ग्रुवे, कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया (1969) पेज 1-2
2. कोरब्रिज हेरिस एण्ड जेफरी (2013) पेज 239
3. प्रदीप बोस (एडिटर ए.आर. मोमीन) (1996) दि लेजेसी ऑफ़ जी.एस. ग्रुवे
4. गांगुली डबजानी (2005) कास्ट कोनोलिज्म एण्ड काउन्टर मोडेनिटी पेज 5-10
6. इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992
7. विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट 1986
8. मानव विकास रिपोर्ट 1995
9. बसू डी.डी. भारत का संविधान 10वां एडिशन
10. डी.एल. सेठ, भारत का भविष्य एक संवाद, 25

www.ignited.in

Corresponding Author

Gaurav Chaudhary*

Research Scholar, Law Department, Mahatma Jyotiba Rao Phule University, Jaipur, Rajasthan